झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/विविध–05/2023 – 30/बजट /राँची, दिनांक– 25/03/2025

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी के निर्माण हेतु राशि रू0 1,11,13,884/– (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार आठ सौ चौरासी) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के लिए हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा सुरक्षा की दृष्टिकोण से चाहरदिवारी निर्माण किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 2405(नि0) दिनांक 29.09.2023 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी निर्माण कार्य के लिए कुल रू0 1,46,56,500/– (रू0 एक करोड़ छियालीस लाख छप्पन हजार पांच सौ) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 21/योजना दिनांक 06.11.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रजट/लो(क)/ श्री (यु०डि०) (e-gazette) 25/3/2025

2. उक्त चाहरदिवारी के निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 364/नि0 दिनांक 07.03.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 45/योजना दिनांक 22.03.2025 के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के चाहरदिवारी निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रू0 1,11,13,884/– (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार आठ सौ चौरासी) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

विपत्र कोड – 43S42020279606010545

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
9. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. वित्त विभाग के पत्रांक 517/वि0 दिनांक 04.03.2025 के आलोक में मार्च माह में निकासी हेतु 15% की बंधेज क्षांत किया जाता है।
13. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

25/03/25

(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव